राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।

क्रमांक: F1()स्था./निआरी/21/5060 दिनांक: 22.2.2021

परिपत्र

विषय :— परिवीक्षाधीन अधिकारियों/कर्मचारियों के असाधारण/अवैतनिक अवकाश स्वीकृति के संबंध में मार्गदर्शन हेतु।

प्रायः यह देखा गया है कि कॉलेज शिक्षा विभाग में कार्यरत परिवीक्षाधीन राजपत्रित अधिकारी/अराजपत्रित कर्मचारी बिना पूर्व सूचना एवं अनुमति के असाधारण (अवैतनिक) अवकाश ले लेते है तथा अधिकांश राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यो/सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा नियमों की जानकारी के अभाव में उनको अवैतनिक/असाधारण अवकाश पर जाने की अनुमति दे दी जाती है। इसके पश्चात कार्मिक की परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के उपरान्त सेवा नियमितिकरण के समय अवकाश स्वीकृति हेतु प्रकरण आयुक्तालय भिजवा दिया जाता हैं। अतः भविष्य में आवश्यक रूप से वित्त (नियम) विभागवार जारी निम्न निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।

वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी मेमोरेण्डम F-1(2)FD/Rules/2006 Pt-I दिनांक 06.01.2020 के आधार पर अपने विभाग में कार्यरत परिवीक्षाधीन अधिकारियों/कर्मचारियों के असाधारण/अवैतनिक अवकाश बाबत् निम्न प्रकार की कार्यवाही सुनिश्चित करावें:—

1. असाधारण अवकाश एक सामान्य अवकाश की भांति नहीं है। अतः असाधारण अवकाश की पूर्व स्वीकृति प्रत्येक प्रकरण में आवश्यक है।
2. अध्ययन अवकाश अथवा प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए असाधारण अवकाश देय नहीं होगा।
3. यह ध्यान में रखा जाना आवश्यक है कि समुचित आधारों पर एक माह तक असाधारण अवकाश देने हेतु नियुक्ति अधिकारी सक्षम है। एक माह से अधिक असाधारण अवकाश मात्र अपवादात्मक एवं अनअपेक्षित परिस्थितियों में चिकित्सकीय कारणों से ही दिया जा सकता है।
4. स्वयं की, पति/पत्नी, माता–पिता एवं बच्चों की गम्भीर बीमारी की स्थिति में असाधारण अवकाश अधिकृत चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण–पत्र पर ही जारी किया जा सकता है।
5. जो अधिकारी या कर्मचारी बिना पूर्व स्वीकृति असाधारण अवकाश पर जाते है तो उनके विरूद्ध स्वैच्छिक अनुपस्थिति मानते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेंगी।
6. यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी बिना पूर्व स्वीकृति उच्च शिक्षा/प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए अवकाश लेता हुआ पाया गया तो उसकी ऐसी अनुपस्थिति को सेवा का शून्य काल माना जाकर ऐसी सेवा किसी भी उद्येश्य के लिए गणना योग्य नहीं होगी।
7. एक माह से अधिक असाधारण अवकाश की स्थिति में परिवीक्षाधीन अवधि असाधारण अवकाश की समयावधि तक आगे बढ़ाई जावेंगी।

तदनुरूप वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी उक्त आदेशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करावें।

22/02/2021

(संदेश नायक)
आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान
जयपुर।

क्रमांक: F1()स्था./निआरी/21/5060 दि. 22.2.2021

प्रतिलिपि :— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त संयुक्त निदेशक/शाखा प्रभारी, आयुक्तालय।
4. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय/कन्या/विधि महाविद्यालय राजस्थान।
5. प्राचार्य, राजस्थान संगीत संस्थान,जयपुर।
6. प्राचार्य, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट, जयपुर।
7. समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
8. वेब साइट प्रभारी, विभाग की वेब साइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित हैं।
9. रक्षित पत्रावली।

22.2.2021

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
कॉलेज शिक्षा, जयपुर।